कायोलय सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)—2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई—मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / सिंचाई / 2018 / 2303 खंडवा, दिनाक 17/07/2018

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग खण्डवा जिला खण्डवा

विषयः— जिला खण्डवा के अंतर्गत आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु 54.60 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/29552/2017.

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र कमांक 8-35/2018-FC दिनांक 03.07.2018 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—3 / 104 / 2017 / 10—11 / 10 / 1985 दिनांक 07.07.2018।

——000——

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में लेख है जिला खण्डवा के अंतर्गत आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु 54.60 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अधिरोपित शर्तो के संबंध में निम्नानुसार राशियॉ जमा करावे।

1 बिन्दु क. 4 के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 1,80,04,545 / — अक्षरी (एक करोड अस्सी लाख चार हजार पॉच सौ पैतालीस) रुपये का भुगतान ई—पोर्टल के माध्यम से किया जाकर प्रस्तुत करें।

2 वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 1,80,04,545 / — का 15 प्रतिशत की राशि विशिष्ट मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के लिए राशि 27,00,682 / —रुपये अक्षरी (सत्ताईस लाख छः सौ बईय्यासी) रुपये का भुगतान ई—पोर्टल के माध्यम से किया जाकर प्रस्तुत करें।

3 वैकल्पिक. वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई वनभूमि ग्राम सुरगॉवनिपानी खसरा नं. 37,49 एवं 215 रकबा 54.60 हे. का मौके पर सीमांकन कराकर हस्तांतरण कराया जावे। उपलब्ध भूमि के मानचित्र की बाह्य सीमाएँ के अक्षांश देशांश दर्शाया जावे।

4 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि का सीमांकन एवं परमानेंट मुनारों के संबंध में प्रतिवेदन।

5 बिन्दु क्रमांक 9 नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि म.प्र शासन वन विभाग का पत्र क. / एफ—5 / 16 / 2000 / 10—3, भोपाल दि 12.9.2008 के निर्देशानुसार वनो की ईको वेल्यु श्रेणी III घनत्व 0.5 से ऊपर राशि 8.03 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से राशि 4,38,43,800 / — रुपये (चार करोड अठतीस लाख तिरतालीस हजार आठ सौ) रुपये का भुगतान ई—पोर्टल के माध्यम से किया जाकर प्रस्तुत करें। नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि वृद्धि होने पर आवेदक संस्था द्वारा पुनरीक्षित राशि जमा की जावेगी, वचन पत्र प्रस्तुत करें।

6 बिन्दु क्रमांक 1 से 3 एवं 4 से 8 तथा 10 से 34 तक शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं शर्त में दर्शित प्रोजेक्ट रिपोर्ट / प्लान प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार राशियॉ का मॉग पत्र आवेदक संस्था द्वारा अपने लॉगइन से वेबपोर्टल पर अपलोड करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा OK करने पर आवेदक संस्थान ई—पोर्टल के माध्यम से राशि का भुगतान कर सकता है। तदानुसार कार्यवाही की जाकर उपरोक्त राशि का भुगतान ऑनलाईन ई—पोर्टल के माध्यम से जमा करें तथा जमा राशि का विवरण पास बुक की फोटोकॉपी तथा UTR No Slip से अवगत करावे भारत सरकार द्वारा जारी शर्तो के संबंध में शर्तवार वचनपत्र प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

17/7

वनसंरक्षक
सामान्य वनमण्डल खण्डवा

प.क्र. / माचि / सिंचाई / 2018 / खंडवा दिनांक

प्रतिलिपि :—1 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र कमांक / एफ—3 / 104 / / 10—11 / 10 / 1985 दिनांक 07.07.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2 मुख्य वनसंरक्षक, खंडवा वृत खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 कलेक्टर (वाचक शाखा)जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4 उपवनमण्डलाधिकारी पूर्व कालीभीत एवं खण्डवा की मय सहपत्र के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। शर्तो का पालन प्रतिवेदन शर्तवार एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

sd/-
वन संरक्षक
सामान्य वनमंडल खंडवा

E/DM2018/memo2018/

634